

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY

BULLETIN - PART II

(General Information relating to Legislative & other matters)
Friday, January 14, 1994/Pausa 24, 1915 (Faka)

No. 20

Detention and Release of Shri Jai Kishan

The following communications dated 13.1.1994 addressed to the Speaker, Delhi Vidhan Sabha, from the Deputy Commissioner of Police, North District and West District, respectively, were received on 13.1.1994 :-

(i)

"Shri Jai Kishan, M.L.A. from Sultan Pur Mazra has been detained under section 65 of Delhi Police Act, at 1315 hours today at PVC Market Camp No.4 P.S. Paschim Vihar. D.C.P. West District has also informed that Shri Jai Kishan was making provocative speech and obstructing in a demolition programme being carried out by the D.D.A."

(ii)

"I have the honour to inform you that Shri Jai Kishan, M.L.A., National Capital Territory of Delhi who was detained on 13.1.1994 at 1315 hours for non-compliance of reasonable directions of Police Officer was released on 13.1.1994 at 1520 hours as the reasons necessitating has ceased to exist."

P.N.GUPTA
SECRETARY

दिल्ली विधान सभा

समाचार भाग - 2

॥ विधायी तथा अन्य भाषणों से संबन्धित साप्ताहिक जानकारी ॥

शुक्रवार, जनवरी 14, 1994/पौष 24, 1915 शक

संख्या, 30

श्री जय किशन को नज़रबन्दी एवं रिहाई

अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को संबोधित दिनांक 13-1-1994 के निम्नलिखित पत्र क्रमशः पुलिस उपायुक्त, उत्तर क्षेत्र तथा पश्चिम क्षेत्र से दिनांक 13-1-1994 को प्राप्त हुए थे।

॥1॥

" श्री जय किशन, सदस्य विधान सभा, सुलतानपुर माज़रा को दिल्ली पुलिस अधिनियम की धारा 65 के अंतर्गत आज 13.15 बजे पो0वो0सी0 मार्केट, कैम्प नं0:4, थाना पश्चिम बिहार में नज़रबन्द किया गया है। पुलिस उपायुक्त पश्चिम क्षेत्र ने यह भी सूचित किया है कि श्री जय किशन भड़काने वाला भाषण कर रहे थे तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा चलाए जा रहे अर्द्ध निर्माण को गिराने के कार्यक्रम में बाधा डाल रहे थे।"

॥2॥

"मुझे आपको यह सूचित करना है कि श्री जय किशन, सदस्य, विधान सभा, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, जिन्हें पुलिस अधिकारों के तर्क संगत निदेशों का पालन न करने के लिए दिनांक 13.1.1994 को 13.15 बजे नज़रबंद किया गया था, को आवश्यक कारणों के अभाव में दिनांक 13-1-1994 को 15-20 बजे रिहा कर दिया गया।"

पो.एन. गुप्ता
सचिव